

आदेश

मुख्यालय के आदेश संख्या-561/चलचित्र निगम/2025-26/लखनऊ दिनांक 21-07-2025 द्वारा उ0प्र0 चलचित्र निगम संबंधी कार्य अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, मुख्यालय के अधीन उनके अधीनस्थ कार्मिकों के द्वारा सम्पादित किये जाने के निर्देश है।

चलचित्र निगम संबंधी कार्य में विधिक एवं न्यायिक प्रक्रिया समाहित होने के दृष्टिगत चलचित्र निगम संबंधी पत्रालियों के व्यवहरण का कार्य पूर्व स्तर से सम्पादित किया जाना आवश्यक है। तत्कम में उक्त आदेश संख्या 561 दिनांक 21.07.2025 को संशोधित करते हुये चलचित्र निगम संबंधी कार्य, राज्य कर मुख्यालय पर कार्यरत निम्न कार्मिकों (पूर्व मनोरंजन कर) को आवंटित किया जाता है :-

1. श्री पीयूष कुमार यादव, राज्य कर अधिकारी, मुख्यालय।
2. श्री राजीव रतन प्रसाद, प्रधान सहायक, मुख्यालय।
3. श्री संजय चौधरी, प्रधान सहायक, मुख्यालय।

उक्त कार्मिक सहायक आयुक्त, राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर) के अधीन पूर्व आवंटित कार्यों के साथ-साथ चलचित्र निगम के कार्यों का सम्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश आयुक्त महोदय के अनुमोदन दिनांक 23-07-2025 के कम में जारी किया जा रहा है।

(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या- /तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, उ0प्र0।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
4. सहायक आयुक्त, राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर), मुख्यालय, लखनऊ।
5. संबंधित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।

श्रीमती शर्मिष्ठा

(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

D.C. (I.T.)
25-7-25

2165